प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर थाना:– सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 74/2022 दिनांक 7/3/2022
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) 2018 धाराये :– 7, 7ए
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये :– 120बी भादस
   (3) अधिनियम .... धाराये :–............
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 141 समय 2-45 PM
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– **शनिवार, दिनांक 08.01.2022**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक:– **08.01.2022, समय 08.15 ए0एम0**
4. सूचना की किस्म :– **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से दक्षिण में, करीब 152 कि.मी. दूर।**
   (ब) पता :– **महादेव होटल, राधनपुर–सांचौर हाईवे रोड सांचौर**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. **परिवादी / सूचनाकर्त्ता**
   श्री भूराराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी कोरना पुलिस थाना मण्डली जिला बाडमेर ।
7. **ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–**
   1. **श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रूडाराम निवासी ग्राम पोस्ट हरयाली तहसील सांचौर जिला जालोर हाल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सांचौर जिला जालोर।**
   2. **श्री गोविन्द महाराज (होटल मालिक) महादेव होटल, राधनपुर–सांचौर हाईवे सांचौर।**
   3. **श्री दिनेश पालीवाल (प्राईवेट व्यक्ति)**
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–............
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ....
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो)............
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

महोदय,

हालात इस प्रकार है कि दिनांक 08.01.2022 को वक्त 08.15 ए0एम0 पर प्रार्थी श्री भूराराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी कोरना पुलिस थाना मण्डली जिला बाडमेर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीरसिंह राणावत, भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो जालोर के समक्ष उपस्थित उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पेश की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट को पढकर रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के बारे में परिवादी श्री भूराराम से तसल्ली से पूछा गया तो परिवादी श्री भूराराम ने बताया कि मैं भूराराम जाट **S/O** तेजाराम उम्र 40 वर्ष R/o कोरना थाना मण्डली बाडमेर मोबाईल नम्बर 9829629687, 9929466974 का रहने वाला हूं। मैं जंगीर थ्रेसर कम्पनी में काम करता हूं। दिनांक 6–1–22 सुबह 5 थ्रेसर रायसिंगनगर से सांचौर आए थे जिन्हे नेनावा में उतारना था परन्तु हाईड्रा की व्यवस्था नही होने से नेनावा के बजाय मेरी दुकान सांचौर में ही उतार दिये थे मेरी स्वराज ट्रेक्टर ऐजेन्सी मेन रोड पर है तभी उसी समय सेलटेक्स विभाग के अधिकारी श्री नरेश कुमार मोदी आ गए तथा उन्होने मेरे कागज देखते हुए धमकाते हुए कहा कि यह थ्रेसर आपने नेनावा की बजाय सांचौर में उतारकर जीएसटी के नियम तोडे है अतः आपको पेनल्टी/जुर्माना भरना पडेगा तो मैनें पूछा कि कितना जुर्माना भरना पडेगा तो उन्होने कहा कि आपके 24 लाख पेनल्टी बनेगी तो मैने हाथा जोडी करते हुए कहा कि मैं गरीब आदमी हूं मेरे पास इतने पैसे नही है मेहरबानी करके कम कर दो तो उन्होने कहा कि छः लाख का जुर्माना बना देता हूं। 1.50 डेढ लाख रूपये मुझे खर्चे पानी का दे दो तो मैनें कहा कि मेरे पास ट्रक भाडे का 50,000 पचास हजार रूपये है तो उन्होने कहा कि चल में साढे तीन लाख रूपये की रसीद काटता हूं। 1.5 लाख मुझे दे दो जिस पर मैने हाथा जोडी की कि मैं गरीब आदमी हूं, मैं इतने रूपये की व्यवस्था नही कर सकता हूं मेरा नया नया काम है ओर कम्पनी भी मुझे इसमें मदद नही करेगी तब मुझे उन्होने कहा कि तू सिर्फ मुझे नारीयल के 2.50 लाख रूपये दे दे ओर अपना सामान फटा फट अपने ठीकाने लगा दो तब मैनें कहा कि मेरे पास इतने रूपयो की व्यवस्था नही होगी ओर मैं 2 लाख रूपये आपको दो तीन दिन में दे दूंगा तो मुझे कहा कि मेरी दुकान के पास महादेव भोजनालय के गोविन्द महाराज से जाकर मिल तो मैं उसी समय गोविन्द महाराज से मिलने गया तो मैने उनसे फिर पैसे कम करने की हाथाजोडी की तो उन्होनें मुझे लास्ट 2.10 दो लाख दस हजार रूपये रिश्वत देने की बात की। ओर कहा कि मेरे पास पैसे आते ही तू यह थ्रेसर अपने ग्राहको को दे देना उससे पहले हटाना मत। तब मैं महादेव होटल पर जाकर गोविन्द महाराज व दिनेश पालीवाल से मिला ओर उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होने कहा साहब पूरी फीस लेते है वो लम्बा नही खिचते है अभी मैं तेरे पैसो की व्यवस्था कर देता हूं तू फटा फट अपने ग्राहको को दे कर एक दो दिन में पैसो की व्यवस्था कर वापिस दे देना ओर धमकी दी कि चालाकी मत करना तुझे यही रहना है इसके बाद में पैसो की व्यवस्था करने के लिए निकल गया अब गोविन्द मुझे बार बार फोन कर रहा है जिसकी मैं रिकार्डिग कर ली है तथा पेन ड्राईव में सेव कर ली है। आज दिनांक 8.1.22 को यह रिपोर्ट के साथ पेश कर रहा हूं। मैं श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी को श्री गोविन्द महाराज व दिनेश पालीवाल के मार्फत रिश्वत नही देना चाहता हूं। वह रिश्वत देते समय रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरा नरेश कुमार मोदी व गोविन्द महाराज से कोई पुराना रूपयो का लेन–देन नही है एवं न ही मेरी इन लोगो से दुश्मनी है। रिपोर्ट करता हूं उचित कारवाई कराने का कष्ट करावें। परिवादी ने यह हस्त–लिखित रिपोर्ट स्वयं के हस्तलेखन में लिखी होना बताया तथा उक्त रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर भी होना बताया तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री भूराराम ने यह भी बताया कि दिनांक 06.01.2022 को सुबह मेरे थ्रेसर श्री नरेश कुमार मोदी सेल टेक्स अधिकारी ने पकडे थे तथा श्री गोविन्द महाराज व दिनेश पालीवाल के